न्यायलय सहायक जिलाधीश एवम् उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

बइजलास:—श्री मनोज मीणा आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 13/2018 प्रविष्टि दिंनाक 18.01.2018

1. जसपाल कौर विधवा श्री रघुवीर सिह
2. गुरचरण सिह पुत्र श्री रघुवीर सिह
3. गुरमीत सिह पुत्र श्री रघुवीर सिह

जाति जटसिख निवासीयान चक 1 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान । (वादीगण)

बनाम

1. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री तोगा सिह जाति जटसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ ।
2. श्री शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैक ऑफ इण्डिया मु0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
3. श्री उपंपजीयक, राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
4. श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

(प्रतिवादीगण)

उपिस्थिति :—

1. श्री राकेश सारस्वत, यशवन्त बिष्णु सारस्वत अभिभाषक (वादीगण)
2. प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)
3. प्रतिवादी नं0 2 शाखा प्रबन्धक एसबीआई सूरतगढ (अनुपस्थित)
4. प्रतिवादी नं0 3 उपंपजीयक राजस्व तहसील सूरतगढ(अनुपस्थित)
5. प्रतिवादी नं0 4 तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ (अनुपस्थित)

निर्णय

दिंनाकः— 03.01.2020

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88—188—209 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय का प्रस्तुत किया कि चक 15 एसटीबी खाता संख्या 22/1764 प0न0 34/314 मु0न0 15 कि0न0 22/2 में 0.202 है0, 23—24/0.506 है0, 25/1 में 0.240 है0 कुल 0.948 है0 अर्थात 4 बीघा भूमि खातेदारी संयुक्त खाता में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। कथन की पुष्टि में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2068—2071 की प्रति प्रस्तुत की। संयुक्त खाता की भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 0.456 है0 भूमि का खातेदार प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिह राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिंह अपने 1/2 हिस्सा की भूमि 0.456 है0 जरिये बैयनामा दिंनाक 19.06.2006 को वादीगण के पति व पिता स्व0 श्री रघुवीर सिह पुत्र श्री अजमेर सिह को पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर बैय कर दी है, तथा खरीदशुदा खातेदारी 0.456 है0 भूमि का कब्जा श्री वादीगण के पति व पिता स्व0 श्री रघुवीर सिह को बैयनामा निष्पादन के दिन 19.06.2006 को सुपूर्द कर दिया था।

.....लगातार. 2 पर

वादीगण का पति व पिता स्व0 श्री रघुवीर सिह अपने जीवनकाल तक उक्त 0.456 है0 भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता रहा। श्री रघुवीर सिह का देहान्त दिंनाक 29.06.2009 को हो चुका है। तत्पश्चात् वादीगण बतौर जायज वारिस विवादित भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। अतः चक 15 एसटीबी खाता संख्या 22/1764 प0न0 34/314 की कुल 0.948 है0 भूमि मे 1/2 हिस्सा अर्थात 0.456 है0 के वादीगण खातेदार कृषक है। घोषणात्मक डिक्री पाने के हकदार है। कथन की पुष्टि में बैयनामा दिंनाक 19.06.2006, मृत्यू प्रमाण पत्र दिंनाक 29.06.2009 एंव ग्राम पंचायत संघर की दिंनाक 12.08.2009 की जायज वारिस की रिपोर्ट तथा जल उपभोक्ता संगम (19) की दिंनाक 08.01.2018 की कब्जा काश्त की रिपोर्ट प्रस्तुत की । जो संलग्न पत्रावली है।

वादीगण ने वादपत्र में यह भी अंकित किया कि प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिंह ने उक्त संयुक्त खाता की भूमि में अपना 1/2 हिस्सा दिंनाक 19.06.2006 को बेचने के पश्चात् एंव अपने हिस्से का कब्जा वादीगण के पति व पिता को स्वेच्छा से पूर्ण प्रतिफल लेकर सुपूर्द करने के पश्चात् प्रतिवादी नं0 2 के अधिकारी प्रतिवादी नं0 4 के अधीनस्थ कर्मचारीगण (पटवारी–गिरदावर) से मिलकर साजिश करके अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि को रहन रखकर दिंनाक 18.10.2016 को भरण राशि प्राप्त कर ली है एंव अब उक्त भरण राशि जमा नही करवा रहा है। अतः न्यायालय के माध्यम से प्रतिवादी नं0 1 को विवादित भूमि पश्चात् भरण राशि प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिंह से वसूल करे अथवा प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिह पर धोखा देकर भरण राशि प्राप्त करने का फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाये किन्तू प्रतिवादी नं0 1 ने आज तक उक्त भूमि के पेटे प्राप्त भरण राशि बैक में जमा नही करवाई है। प्रतिवादी नं0 2 ,3, 4 ने प्रतिवादी नं0 1 द्वारा धोखा देकर बेची गई भूमि को अपनी बताकर ऋण राशि प्राप्त करने के खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नही करवाया है एंव ऋण राशि वसूली की कार्यवाही भी नही की है। अतः चक नं0 15 एसटीबी खाता संख्या 22/1764 प0न0 34/314 मु0न0 15 की कुल 0.948 है मे से 1/2 हिस्सा 0.458 है0 का वादीगण को घोषणात्मक डिक्री के माध्यम से राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज किया जावे । प्रतिवादी नं0 1 के नाम उक्त 1/2 हिस्सा रहन का इन्द्राज हटावाकर वादीगण को 1/2 हिस्सा का खातेदार दर्ज किया जावें। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा व्यवधान उत्पन्न न करें । विवादित भूमि किसी भी प्रकार से किसी भी अन्य व्यक्ति भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तान्तरण न करें ।

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् वाद रिपोर्ट वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 4 को सम्मन बनाम प्रतिवादीगण जारी किये गये। प्रतिवादीगण नं0 1 को रजिस्टर्ड नोटिस दिंनाक 14.09.2018 से दिंनाक 14.11.2018 को उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया प्रतिवादी नं0 1 बावजूद सूचना के उपस्थित नही आया।

.....लगातार 3 पर

अतः दिनाक 14.11.2018 को प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिंह के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया । प्रतिवादी नं0 2 श्री शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे सूरतगढ को दिंनाक 03.05.2018 को नोटिस की एक प्रति देकर वाद की सूचना दी गई । प्रतिवादी नं0 3 श्री उपंपजीयक सूरतगढ को नोटिस की एक प्रति दिंनाक 04.05.2018 को देकर वाद की सूचना दी गई । प्रतिवादी नं0 4 श्री तहसीलदार को नोटिस की एक प्रति दिंनाक 08.05.2018 को देकर वाद की सूचना दी गई । प्रतिवादी नं0 2 व 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नही आये। अतः दिंनाक 27.08.2018 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किया गया । प्रतिवादी नं0 4 श्री तहसीलदार के दो अवसर जबावदावा हेतु दिये गये । किन्तू इसके बावजूद जबावदावा पेश न करने की स्थिति में दिंनाक 08.01.2019 को प्रतिवादी नं0 4 का जबाबदावा बन्द रकने का ओदश पारित किया गया ।

सभी प्रतिवादीगण 1 ता 4 बावजूद सूचना के अनूपस्थित रहे । अतः वादीपक्ष को वादपत्र की पुष्टि में साक्ष्य हेतु दिंनाक 18.01.2019 का अवसर दिया गया । दिंनाक 18.01.2019 को वादीपक्ष में वादी नं0 2 श्री गुरचरण सिह ने वादपत्र की पुष्टि में शपथ पत्र दिंनाक 18.01.2019 के माध्यम से वादपत्र के कथनो की पुष्टि की । दस्तावेज खाता संख्या 22/1764 की नकल Exp-1, बैयनामा दिंनाक 19.06.2006 Exp-2, मुत्यू प्रमाण पत्र Exp-3, वारिसान रिपोर्ट Exp-4, जल उपभोक्ता संगम रिपोर्ट Exp-5 संलग्न पत्रावली है। प्रतिवादी पक्ष की और कोई उपस्थित न होने के कारण जिरह शुन्य रही ।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण ने अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यो के माध्यम से पूर्णतया पुष्ट किया है । प्रतिवादीगण की और से कोई जबावदावा अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है एवं ना ही वादीगण द्वारा प्रतिवादी नं0 1 के नाम अन्य भूमि होने का प्रमाण प्रस्तुत किया हैं जिससे की प्रतिवादी नं0 1 से ऋण राशि वसूल की जा सके। ऐसी स्थिति में वादपत्र एकपक्षीय आंशिक स्वीकार किया जाता है आदेश दिया जाता है कि चक नं0 15 एसटीबी खाता संख्या 22/1764 प0न0 34/314 मु0न0 15 कि0न0 22/2 में 0.202 है0, कि0न0 23, 24/0.506 है0 कि0न0 25/1 में 0.240 है0 कुल 0.948 है0 तादादी 4 बीघा खातेदारी भूमि मे से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिह के हिस्से की भूमि का वादीगण को ब0हि0ब0 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है चक 15 एसटीबी खाता संख्या 22/1764 प0न0 34/314 मु0न0 15 की 0.948 है0 खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिह के स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया जावे। रकबा स्टेट बैक आफ इण्डिया सूरतगढ बैकं के रहन होने के कारण ऋण राशि का भुगतान वादीगण द्वारा किया जावें अतः रहन का नोट वादीगण के नाम दर्ज किया जावें।

.....लगातार 4 पर

स्थानिय बैक शाखा को अलग से पत्र लिखकर सूचित किया जावे कि स्टेट बैक ऑफ इण्डिया सूरतगढ उक्त ऋण राशि रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिह के स्थान पर वादीगण के नाम दर्ज कर ऋण राशि वादीगण से वसूल करें। वादीगण की खरीदशुदा कब्जेशुदा चक 15 एसटीबी खाता संख्या 22 / 1764 प0न0 34 / 314 की 0.948 है0 मे से 1 / 2 हिस्सा तादादी 0.456 है0 पर वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार व्यवधान एंव हस्तान्तरण सम्बन्धी हस्तक्षेप न करने हेतु प्रतिवादीगण 1 ता 4 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। उपरोक्त निर्णय अनुसार वादीगण के हक में डिकी जारी की जावें।

निर्णय आज दिनाक 03.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

(ओ.21 रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

–:परचा डिकी:–

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मनोज मीणा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 13/2018 दायरा दिंनाक 18.01.2018

1. जसपाल कौर विधवा श्री रघुवीर सिह
2. गुरचरण सिह पुत्र श्री रघुवीर सिह
3. गुरमीत सिह पुत्र श्री रघुवीर सिह

जाति जटसिख निवासीयान चक 1 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान । (वादीगण)

बनाम

1. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री तोगा सिह जाति जटसिख निवासी संघर तहसील सूरतगढ ।
2. श्री शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैक ऑफ इण्डिया मु0 सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
3. श्री उपंपजीयक, राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
4. श्री तहसीलदार राजस्व तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर । (प्रतिवादीगण)

वादपत्र धारा 88–188–209 आरटीए मुकदमा नं0 13 वर्ष 2018 यह मुकदमा में पेश होने पर वास्ते इनफिलास कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री राकेश सारस्वत व श्री यशवन्त बिष्णु सारस्वत के हाजिर होने पर वाद पत्र एक पक्षीय आंशिक स्वीकार कर हुक्म दिया जाता हैं व डिकी जारी की जाती हैं कि:–

चक नं0 15 एसटीबी खाता संख्या 22/1764 प0न0 34/314 मु0न0 15 कि0न0 22/2 में 0.202 है0, कि0न0 23, 24/0.506 है0 कि0न0 25/1 में 0.240 है0 कुल 0.948 है0 तादादी 4 बीघा खातेदारी भूमि मे से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिह के हिस्से की भूमि का वादीगण को ब0हि0ब0 खातेदार कृषक घोषित किया जाता है चक 15 एसटीबी खाता संख्या 22/1764 प0न0 34/314 मु0न0 15 की 0.948 है0 खातेदारी भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिह के स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया जावे। रकबा स्टेट बैक आफ इण्डिया सूरतगढ बैकं के रहन होने के कारण ऋण राशि का भुगतान वादीगण द्वारा किया जावें अतः रहन का नोट वादीगण के नाम दर्ज किया जावें। स्थानिय बैक शाखा को अलग से पत्र लिखकर सूचित किया जावे कि स्टेट बैक ऑफ इण्डिया सूरतगढ उक्त ऋण राशि रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 श्री महेन्द्र सिह के स्थान पर वादीगण के नाम दर्ज कर ऋण राशि वादीगण से वसूल करें। वादीगण की खरीदशुदा कब्जेशुदा चक 15 एसटीबी खाता संख्या 22/1764 प0न0 34/314 की 0.948 है0 मे से 1/2 हिस्सा तादादी 0.456 है0 पर वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार व्यवधान एंव हस्तान्तरण सम्बन्धी हस्तक्षेप न करने हेतु प्रतिवादीगण 1 ता 4 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें।

नोज.....×..... मुबलिग.....×.....बाबत.....×..... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह..... ×.....फस्दो की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 07.01.2020 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.10 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: